राजस्थान–सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎: 0141–2704357 📠 : 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांक:– निसंशि / शैक्ष– I / पं.155 / एक भारत श्रेष्ठ भारत / 2017 / 7989–8020 दिनांक:– 19/2/2018

प्राचार्य,
समस्त राजकीय आचार्य / शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:– "एक भारत श्रेष्ठ भारत" संकल्पना के अन्तर्गत महाविद्यालयो में किये जाने वाले कार्यक्रमों का Action Plan ।

प्रसंग:– इस विभाग का पूर्व पत्रांक 41615–72 दिनांक 10.11.2017

महोदय,

प्रसंगोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र क्रमांक 41615–72 दिनांक 10.11.2017 द्वारा "एक भारत श्रेष्ठ भारत" संकल्पना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों का Action Plan संलग्न प्रेषित कर तदनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन किये जाने तथा सम्पन्न हुए कार्यक्रमों की रिपोर्ट, फोटो ग्राफ्स, वीडियों आदि ई.मेल आई.डी ebsb.cce@gmail.com एवं director sanskrit@gmail.com पर आवश्यक रूप से मेल किये जाने के आदेश / निर्देश प्रदान किये गये थे, किन्तु आदिनांक तक आयोजित कार्यक्रमों की रिपोर्ट चाहे अनुसार नहीं भिजवायी है। अतः रिपोर्ट वर्णित मेल आई.डी. पर तत्काल भिजवावे।

"एक भारत श्रेष्ठ भारत" कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु दिनांक 15.02.2018 को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नोडल विभागो से जो अपेक्षाए की गई है की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि "क्रम संख्या–8 पर संस्कृत शिक्षा विभाग" द्वारा अपेक्षित कार्यक्रमों का कियान्वयन निर्धारित अवधि में किया जाना सुनिश्चित करावें।(छायाप्रति सलग्न)

भविष्य में आयोजित कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी उपरोक्त मेल आई.डी. पर भिजवावें। इसे अत्यावश्यक समझे एवं सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. वेब साइट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. भास्कर शर्मा)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

" एक भारत श्रेष्ठ भारत "
नोडल विभागों से अपेक्षाएँ

1. कला, संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन –

(1) असम महोत्सव–जिला/संभाग/राज्य स्तर पर असम महोत्सव का आयोजन ।

(2) प्रदर्शनी– जिला/संभाग/राज्य स्तर पर असम से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन ।

(3) असम सांस्कृतिक सप्ताह– जयपुर में असम सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन।

(4) विद्यार्थी/कलाकार आदान प्रदान कार्यक्रम– EBSB से संबंधित विद्यार्थी/कलाकारों के आदान–प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, पर्यटन स्थलों का भ्रमण, ठहरने, यात्रा आदि की व्यवस्था ।

(5) समय–समय पर केन्द्र द्वारा प्रदत्त कार्यक्रमों का आयोजन ।

2. खेलकूद एवं युवा मामले–

(1) EBSB के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करना ।

(2) प्राप्त खेलकूद कार्यक्रमों में विभिन्न खेलों में भाग लेने हेतु राजस्थान से खिलाडियों को भेजना ।

(3) सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित कलाकारों का आदान–प्रदान ।

(4) समय–समय केन्द्र से प्राप्त कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करना ।

3. शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग–

(1) सभी राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों में EBSB गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करना ।

(2) राजस्थान एवं असम के विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों एवं फैकल्टी के आदान–प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करना ।

(3) समय–समय पर केन्द्र सरकार से प्राप्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करना ।

(4) पार्टनर स्टेट के प्रतिनिधिमंडल/छात्र/फैकल्टी के ठहरने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

(5) इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर पार्टनर स्टेट के विद्यार्थियों हेतु विशेष प्रवेश व्यवस्था/छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करना ।

4. तकनीकी शिक्षा–

(1) सभी राजकीय एवं निजी तकनीकी महाविद्यालयों में EBSB गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करना ।

(2) राजस्थान एवं असम के विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों एवं फैकल्टी के आदान–प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करना ।

(3) समय–समय पर केन्द्र सरकार से प्राप्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करना ।

(4) पार्टनर स्टेट के प्रतिनिधिमंडल/छात्र/फैकल्टी के ठहरने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

(5) इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर पार्टनर स्टेट के विद्यार्थियों हेतु विशेष प्रवेश व्यवस्था/छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करना ।

5. कॉलेज शिक्षा–

(1) राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में EBSB Action Plan एवं समय–समय पर प्राप्त अन्य आदेशों के अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करना ।

6. माध्यमिक शिक्षा–

(1) EBSB के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आयोजित करना।

(2) केन्द्र से प्राप्त स्कूल शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन ।

(3) EBSB की भावना के अनुरूप कार्यक्रमों की योजना एवं कियान्वयन ।

7. प्राथमिक शिक्षा–

(1) EBSB के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आयोजित करना।

(2) केन्द्र से प्राप्त स्कूल शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन ।

(3) EBSB की भावना के अनुरूप कार्यक्रमों की योजना एवं कियान्वयन ।

8. संस्कृत शिक्षा–

(1) सभी संस्कृत महाविद्यालयों में EBSB कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करना ।

(2) नवीन कार्यक्रमों की योजना एवं कियान्वयन सुनिश्चित करना ।

9. सूचना एवं जनसम्पर्क–

(1) EBSB कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना ।

(2) EBSB की भावना के अनुरूप कार्यक्रमों की योजना एवं कियान्वयन ।

10. भाषा विभाग–

(1) पार्टनर स्टेट की भाषा, शब्दावली एवं अन्य भाषा संबंधी कार्यक्रमों की योजना एवं क्रियान्वयन ।

11. स्टेट एन.एस.एस. सैल–

(1) सभी स्कूल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में एन.एस.एस. के माध्यम से EBSB कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।

(2) एक भारत श्रेष्ठ भारत एकता शिविर का आयोजन सुनिश्चित करना ।

(3) केन्द्र द्वारा प्राप्त कार्यक्रमों का तदनुरूप क्रियान्वयन ।

12. कृषि विभाग –

कृषि के क्षेत्र में राजस्थान एवं असम राज्यों की Best Practices को साझा करने की दृष्टि से ATMA स्कीम अथवा अन्य माध्यमों से कृषकों के आदान–प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन ।